



मुख्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली-110002

संख्या : ए/20/12/Misc-V/2013/चि-4

दिनांक : 15/3/2019

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक/डीन,
सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल/मेडिकल कॉलेज/पीजीआईएमएसआर।

क्षेत्रीय निदेशक,
सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क्षेत्रीय कार्यालय)

विषय	आयुष चिकित्सा अधिकारियों को पी जी कोर्स (Post Graduate course) करने के लिए अनुमति हेतु निगम की 177वीं मीटिंग में Agenda item-5 पर दी गई स्वीकृति के अनुसार निर्धारित नीति जिसके मिनट मुख्यालय के पत्र संख्या वी-11/15/4/2018-निगमित प्रकोष्ठ के पत्र दिनांक 05/03/2019 द्वारा जारी किए गए हैं।
------	--

महोदया/महोदय,

ईएसआई एक्ट 1948 की प्रावधान के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने हितधारियों को समुचित चिकित्सा सेवाएं देने के लिए प्रयासरत रहता है। इसी दिशा में निगम अपने चिकित्सा अधिकारियों को बेहतर चिकित्सा अधिकारी बनाने के लिए चिकित्सा क्षेत्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी लीव अथवा एक्सट्रा ओरडीनरी लीव की अनुमति प्रदान करता है। इस संदर्भ में सक्षम अधिकारी की स्वीकृतिप्राप्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों को पी जी कोर्स करने के लिए निगम की नीति के बिन्दु निम्नलिखित हैं: -

ESIC is making efforts to improve and expand AYUSH facilities as the axiomatic system has got assimilated in Indian culture and there are large number of patients who have faith in this traditional system. The Corporation needs the services of PG qualified AYUSH Medical Officers (MOs) who are capable of applying aspects of modern medical science along with the deep-rooted vast knowledge science of Indian System of Medicines. Therefore, the Corporation in its 177th meeting has decided to include AYUSH Medical Officers of ESIC in the already existing study leave quota of 4%. This quota of 4% Medical Officers is to be seen institution-wise w.r.t. effective strength (In-position strength of regular GDMOs, Specialists,

Teaching faculty MOs & AYUSH MOs) of the medical institution for grant of study leave for higher studies to doctors including AYUSH MOs.

All other governing conditions of study leave shall remain the same as applicable in accordance with the "Policy for grant of study leave to Medical Officers (MOs) of ESIC to pursue higher post-graduate studies" already approved by the Corporation in its 176th meeting and circulated under letters of even No. dated 15/10/2018 & 14/01/2019.

कृपया भविष्य में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विषय पर की जाने वाली प्रार्थनाओं पर उक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये व इसे सभी संबन्धित पक्षों के संज्ञान में भी लाया जाये ।

भवदीय



(दीपक मलिक)

उप निदेशक (चिकित्सा प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

वैबसाइट कंटेंट मैनेजर - इस ज्ञापन को निगम की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु